Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

भारत में विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रास्थिति

शोध निर्देशक

डॉ स्वप्निल त्रिपाठी

सहायक आचार्य, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग,

नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय

कोटवा जमुनीपुर, दुबावल प्रयागराज

शोधार्थी

मयंक शेखर तिवारी

क्रेट 2015 विधि विभाग

नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय

कोटवा जमुनीपुर, दुबावल प्रयागराज

Article Info

Volume 3 Issue 6

Page Number: 40-41

Publication Issue :

November-December-2020

Article History

Accepted : 01 Nov 2020

Published : 15 Nov 2020

भारतवर्ष में महिलाओं की समाज में उच्च स्थान प्रदान किया गया है नारी का प्रत्येक परिवार में एक सम्मानित स्थान है परन्तु यदि महिला विधवा या तलाकशुदा है तो उसकी प्रास्थिति चिंताजनक है इसके साथ ही साथ अविवाहित महिलाओं की प्रास्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य समस्याओं का सामना प्रायः करना पड़ता है। समाज में उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा समाज के असामाजिक तत्व उसका शोषण करने में चूक नहीं करते हैं जो उन महिलाओं की समस्याऐं और बढ़ा देते हैं। सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं के सामाजिक उत्थान हेतु समय-समय पर अनेकों योजनाओं को प्रारम्भ कराया जाता है परन्तु इनका शत-प्रतिशत लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है।

इन तीनों प्रकार की महिलाओं में एक समानता होती है। इनके जीवन में पुरूष पति के रूप में नहीं होता है। ऐसी रिक्तता स्वेच्छा भी हो सकती है या दुर्भाग्यवश भी हो सकती है ऐसी महिलायें समाज में अनेकों समस्याओं का सामना करती हैं। निम्न बिन्दुओं द्वारा समझनें का प्रयास किया जा सकता है –

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

1. सर्वप्रथम ऐसी महिलाओं को समाज में असुरक्षा का खतरा होता है क्योंकि समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा इनका शोषण बहुत आसानी से किया जा सकता है।
2. दूसरी समस्या है आर्थिक तंगी जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं के समक्ष आर्थिक समस्या बहुत बड़ी होती है यदि वे कहीं नियोजित हैं किसी छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे में नियोजित हैं तब तो स्थिति संतोषजनक है अन्यथा इनका जीवन निम्नस्तर का एवं संघर्षपूर्ण रहता है।
3. ऐसी महिलाओं के समक्ष तीसरी समस्या है सामाजिक स्तर में गिरावट इन महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती है।
4. इन महिलाओं को मानसिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

इस वर्ग की महिलाओं के जीवन में पुरूष वर्ग के अभाव के कारण इनका जीवन कठिनाईपूर्ण हो जाता है और इन्हें अकेलेपन में जीवन-यापन को मजबूर हो जाती हैं।

निष्कर्ष –

महिला सशक्तिकरण के इस दौर में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है जिसमें वित्तीय सहायता के अतिरिक्त महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से चालये जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का सपना महिलाओं को शिक्षित करके पूरा किया जा सकता है। महिलाओं का विकास होने पर समाज का उत्थान एवं विकास होने पर समाज का उत्थान एवं विकास अपने आप हो जाएगा। संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानून के द्वारा महिलाओं को अधिक अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में सुधार आया है। महिलाओं की विवाह-विच्छेद परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार मिलना। तलाकशुदा महिलाओं को शिक्षित तथा जागरूक करने की आवश्यकता जिससे वह अपने जीवन (सामाजिक, आर्थिक) को लेकर अधिक जागरूक हो तथा अपने परिवार तथा भरण-पोषण सम्बन्धित खर्चों का निवार्हन आसानी से कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. महिलायें एवं आपराधिक विधि, **डॉ0** बसन्ती लाल बावेल
2. महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित कानून, **डॉ0** ममता राव
3. वूमेन एण्ड लो, परीक्षित के नाइक